

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में शहीद-राजौरा-अधिकारी-  
विनायक-दुंगा मोटर मार्ग ।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- कुमा

तहसील :- भिकियासैन जिला अल्मोड़ा।

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड भिकियासैन में शहीद-राजौरा

अधिकारी विनायक-दुंगा मोटर मार्ग के निर्माण (31.00 किमी) परियोजना हेतु आरक्षित वन भूमि 25.5  
है, सिविल सोयम भूमि 0.434 है तथा वन पंचायत भूमि 0.980 है अर्थात् कुल वन भूमि 1.414 है। वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दुंगा द्वारा दिनांक 6-12-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम दुंगा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0निर्विभाग, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।

प्रमाण पत्रका ग्राम पंचायत  
विनायक-दुंगा (दुंगा)  
विनायक-दुंगा (दुंगा)

रीता देवी  
ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत दुंगा  
विनायक-भिकियासैन (अल्मोड़ा)

प्रपत्र-23.1

दिनांक 6-12-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रम सं.

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ  
ग्रामवासियों के नाम

हस्ताक्षर

1-	आनंद	अनंद
2-	नवाजु	नवाजु
3-	रिवाली देवी	रिवाली देवी
4-	पार्वती देवी	पार्वती देवी
5-	कुमारधारा	कुमारधारा
6-	लंदनाराई	लंदनाराई
7.	महेन्द्रिंद	महेन्द्रिंद
8	कुज्जोरी	कुज्जोरी
9.	कुमारिता	कुमारिता
10		
11	प्रेमिंद अर्धकाली	प्रेमिंद अर्धकाली
12	कुर्गी देवी	कुर्गी देवी
14	अवानी देवी	अवानी देवी
15.	कुमारना	कुमारना
16.	जोधाराई	जोधाराई
17	संतोषीराई	संतोषीराई

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में २१ हाई राजे श अधिकारी किनारे  
कुंगा मोटर मार्ग कार्यालय उपजिलाधिकारी, मिक्रोप्रॉजेक्ट ।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति .....

उपखण्ड मिक्रोप्रॉजेक्ट परिक्षेत्र के अन्तर्गत (आरक्षित वन भूमि २१ हाई) है, सिविल सोयम भूमि ०.४३५ है, तथा वन पंचायत भूमि ०.९८० है, अर्थात् कुल वन भूमि १.४१५ है, निर्माण खण्ड, लोनोविभाग, रानीखेत के नाम हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी/ वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति तहसील मिक्रोप्रॉजेक्ट की दिनांक ..... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन प्रवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में श्री ..... उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

1. श्री इन्द्र इस. नाविधाल उपजिलाधिकारी अध्यक्ष वनाधिकारी मिक्रोप्रौद्योगिकी सदस्य सचिवालय अध्यक्ष सदस्य प्रभाग अल्मोड़ा
2. श्री भूपेन्द्र लिला दीना उप प्रभागीय वनाधिकारी अध्यक्ष सदस्य सचिवालय अधिकारी
3. श्री अरुण राजरावत् सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य सचिवालय अधिकारी
4. श्री ली किलांडारी बी0डी0सी0 क्षेत्र उपजिलाधिकारी अधिकारी सेवा (अल्मोड़ा) सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया विस्तृत अल्मोड़ा में विकास खण्ड के अन्तर्गत २१ हाई राजे श अधिकारी किनारे मोटर मार्ग का (३.०० किमी) प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव मात्र सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई भी मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति के आधार पर पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुवे जानकारी से मात्र सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उप खण्ड मिक्रोप्रौद्योगिकी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड के अन्तर्गत २१ हाई राजे श अधिकारी किनारे मोटर मार्ग के निर्माण हेतु १.५१५ है, वन भूमि निर्माण खण्ड, लोनोविभाग, रानीखेत को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उपजिलाधिकारी  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,  
तहसील मिक्रोप्रौद्योगिकी जिला अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,  
तहसील मिक्रोप्रौद्योगिकी जिला अल्मोड़ा।

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम :-

ज्ञानपूर्व अल्मोड़ा में शहीद-राजीव आधिकारी विनापन  
कुण्ड मार्ग मार्ग  
जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास खण्ड ~~अपार्टमेंट~~ के अन्तर्गत .....  
शहीद राजीव अधिकारी के अन्तर्गत ..... मोटर मार्ग का निर्माण 3.00 किमी परियोजना के निर्माण हेतु 1.414 है। वन भूमि  
निर्माण खण्ड, लोगनीविभाग, रानीखेत को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/ अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन  
अधिनियम समिति ~~एकीकृत~~ तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन  
अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जाजाति व  
वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/ वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।  
परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

(A)  
उपजिलाधिकारी राजीव  
सिकियासेन  
विवाद-अल्मोड़ा

19/12/16  
जिलाधिकारी  
अल्मोड़ा.

### प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में शहीद राजेश आधिकारी विनायक दुग्गा  
मोटर मार्ग,

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित विकास खण्ड ~~मोटर मार्ग में शहीद राजेश~~  
शहीद राजेश मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1:414 है। वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र 11-9/98 एफ०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सङ्क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केविल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेशों के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह ( Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिलाधिकारी विनायक दुग्गा  
/ नोडल अधिकारी अल्मोड़ा।

19.12.14  
जिलाधिकारी  
अल्मोड़ा।

## FORM-1

**Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector: Almora**

**No---**

**Dated-----**


**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.414** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division, Public Work Department, Ranikhet (Almora, Uttarakhand)** for **Construction of Saheed Rajesh Adhikari Vinayak Dhunga Motor Road(3.00km)** in Almora district falls within jurisdiction of **Dhunga** village (s) in **Bhikyasen** tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.414** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

**Encl: As above.**

  
19.12.14  
Signature  
**जिल्हा अधिकारी**  
**उत्तराखण्ड।**

**ANNEXURE....**

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT: ALMORA (UTTARAKHAND)**


**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S Deputy commissioner Almora on date .19/12/14. at time .3:00 P.Mat Almora in which application claiming rights in Dhunga area measuring 1.414 hectares for the **Construction of Saheed Rajesh Adhikari Vinayak Dhunga Motor Road(3.00km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhikyasen sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

**Place:Almora**

**Dated:..19/12/14**

  
**Deputy Commissioner-cum-Chairman**  
**District Level Committee**  
